

अनुदान संख्या 47 - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग
GRANT No. 47 – DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	1161,20,00		
			1161,23,00	755,19,29
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			- 406,03,71
				404,18,87
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	16,80,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			..
				-16,80,00
				16,20,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat –Social Services			
मू.	O.	2220.00		
			1813.43	1812.45
पु.	R.	-406.57		
				-0.98
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"			
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health			
मू.	O.	104000.00		
पू.	S.	2.00	73890.70	73706.84
पु.	R.	-30111.30		
				-183.86

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	9900.00		
पू.	S.	1.00
पु.	R.	- 9901.00		

(I) ₹18552.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) छत्तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹18085.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां" -

(i) "निदेशन और प्रशासन" -

- (1) "टी के डी एल और आयुष बौद्धिक संपदा अधिकार" - ₹200.00 लाख पारगमन ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय इकाईयों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।
- (2) "पाठ्य पुस्तकों और पाण्डुलिपियों के अधिग्रहण, सूची में डालना, डिजिटाइजेशन और प्रकाशन संबंधी स्कीम" - ₹125.00 लाख; और
- (3) "आयुष सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों, अनुप्रयोगों और नेटवर्क का विकास" - ₹125.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹18552.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilized under thirty six heads; of these ₹18085.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" -

(a) "Urban Health Services – Other Systems of Medicines" -

(i) "Direction and Administration" -

- (1) "TKDL and AYUSH intellectual property rights" - ₹200.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Transition Knowledge Digital Library Units.
- (2) "Scheme for Acquisition, Cataloging, Digitisation and Publication of Text Book and Manuscripts" - ₹125.00 lakhs; and
- (3) "Development of AYUSH IT Tools, Applications and Networks" - ₹125.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to non-approval of the schemes.

- (ii) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना” -
- (1) “राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड” - ₹480.00 लाख;
- (2) “राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन” - ₹600.00 लाख;
- (3) “अस्पताल और औषधालय (आयुष फ्लैक्सिपूल सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)” - ₹1800.00 लाख;
- (ख) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान” -
- (i) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - आयुष संस्था/कालेजों का विकास और उन्नयन” - ₹540.00 लाख; और
- (ii) “जनजाति क्षेत्र उप योजना - आयुष संस्था/कालेजों का विकास और उन्नयन” - ₹250.00 लाख।
- उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।
- (iii) “आयुर्वेद - आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन” - ₹4164.00 लाख उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण थे।
- (खा) मुख्य शीर्ष “2552” -
- (क) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - अन्य पद्धतियां” -
- (i) “राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड” - ₹700.00 लाख;
- (ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (1) “National Medicinal Plants Board” - ₹480.00 lakhs;
- (2) “National Mission on Medicinal Plants” - ₹600.00 lakhs;
- (3) “Hospitals and Dispensaries (under NRHM including AYUSH flexipool)” - ₹1800.00 lakhs;
- (b) “Medical Education, Training and Research” -
- (i) “Special Component Plan for Scheduled Castes – Development and Upgradation of AYUSH Institution/Colleges” - ₹540.00 lakhs; and
- (ii) “Tribal Area Sub Plan – Development and Upgradation of AYUSH Institutions/Colleges” - ₹250.00 lakhs.
- Provisions under the above five heads remained unutilized due to non-receipt of proposals.
- (iii) “Ayurveda – Development and Upgradation of AYUSH Institutions/ Colleges” - ₹4164.00 lakhs – due to non-receipt of utilization certificates.
- (B) Major Head “2552” -
- (a) “Urban Health Services - Other Systems of Medicines – Other Systems” -
- (i) “National Medicinal Plants Board” - ₹700.00 lakhs;

- | | |
|---|---|
| <p>(ii) “राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन” - ₹700.00 लाख;</p> <p>(iii) “अस्पताल और औषधालय (आयुष फ्लैक्सिपूल सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)” - ₹2300.00 लाख;</p> <p>(ख) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - अन्य पद्धतियां” -</p> <p>(i) “पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान, पासिघाट” - ₹1200.00 लाख;</p> <p>(ii) “पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग” - ₹2654.00 लाख; और</p> <p>(ग) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - आयुर्वेद” -</p> <p>(i) “केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान” - ₹500.00 लाख।</p> | <p>(ii) “National Mission on Medicinal Plants” – ₹700.00 lakhs;</p> <p>(iii) “Hospitals and Dispensaries (under NRHM including AYUSH flexipool” – ₹2300.00 lakhs;</p> <p>(b) “Medical Education, Training and Research – Other Systems” –</p> <p>(i) “North-Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat” – ₹1200.00 lakhs;</p> <p>(ii) “North-Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong” – ₹2654.00 lakhs; and</p> <p>(c) “Medical Education, Training and Research – Ayurveda” –</p> <p>(i) “Grants to Central Council for Research in Ayurveda Sciences” – ₹500.00 lakhs.</p> |
|---|---|
- प्रावधान उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।
- | | |
|---|---|
| <p>(ii) “आयुष संस्थाओं/कालेजों का विकास और उन्नयन” - ₹546.00 लाख उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण थे।</p> <p>(घ) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां -निर्देशन और प्रशासन” -</p> | <p>(ii) “Development and upgradation of AYUSH Institutions/Colleges” – ₹546.00 lakhs – due to non-receipt of utilization certificates.</p> <p>(d) “Urban Health Services – Other Systems of Medicines – Direction and Administration” –</p> |
|---|---|

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(i) “आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/ नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में संलग्न गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता” - ₹150.00 लाख पूर्वोत्तर क्षेत्रों से उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) “सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय” - ₹150.00 लाख;

(ड) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान” - ₹401.00 लाख (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे; और

(च) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - यूनानी - केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान” - ₹500.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2251” - “सचिवालय - आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग” - ₹407.55 लाख की बचत (₹2220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कार्यालय को सरकारी भवन में स्थानांतरित किए जाने की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2210” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:

(i) “Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in Non-Governmental/Private Sector engaged in AYUSH Education/Drug Development and Research/Clinical Research/Folk Medicine etc.” – ₹150.00 lakhs – due to non-receipt of appropriate proposals from North Eastern Areas.

(ii) “Expenditure on Information, Education and Communication” – ₹150.00 lakhs;

(e) “Medical Education, Training and Research – Homoeopathy – Grants to Central Council for Research in Homoeopathy” – ₹401.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013); and

(f) “Medical Education, Training and Research – Unani – Grants to Central Council for Research in Unani Medicine” – ₹500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2251” – “Secretariat – Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy” – saving of ₹407.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2220.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards rent owing to shifting of office in Government building.

(III) Under Major Head “2210” – savings occurred under the following heads:-

(का) “शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां” -

(क) “निदेशन और प्रशासन” -

(i) “आयुष पर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रम/संगोष्ठी कार्यशाला” - ₹262.27 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दूतावासों और अन्य संगठनों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) “सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय” - ₹124.37 लाख की बचत (₹1250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “आयुर्वेद - भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली को अनुदान” - ₹131.40 लाख की बचत (₹240.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) “अन्य पद्धतियां” -

(i) “अनुसंधान संस्थान (निजी/अर्धसरकारी/सरकारी/ विश्वविद्यालयों/गैर-सरकारी संगठन) के माध्यम से अतिरिक्त मूल अनुसंधान परियोजनाओं आदि के लिए अनुदान” - ₹260.11 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानकों के अनुसार अतिरिक्त मूल अनुसंधान परियोजना के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) “आयुष की प्रयोग और स्वीकार्यता पर सर्वेक्षण” - ₹259.63 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय रूप से

(A) “Urban Health Services – Other Systems of Medicines”-

(a) “Direction and Administration” –

(i) “International Exchange Programme/Seminar Workshop on AYUSH” – saving of ₹262.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Embassies and other Organizations.

(ii) “Expenditure on Information, Education and Communication” – saving of ₹124.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1250.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals.

(b) “Ayurveda – Grants to Central Council of Indian Medicine, New Delhi”- saving of ₹131.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹240.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-receipt of utilization certificates.

(c) “Other Systems” –

(i) “Grants for Extra Mural Research Projects through Research Institute (Pvt./Semi Govt./ Govt./ Universities/ NGO) etc.” – saving of ₹260.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals of Extra Mural Research Project as per norms.

(ii) “Survey on usage and acceptability of AYUSH” - saving of ₹259.63 lakhs (against the sanctioned provision of

प्रायोजित और विभाग की केंद्रीय सेक्टर स्कीम के अंतर्गत मूल्यांकन कार्य कम प्राप्त होने के कारण हुई।

- (iii) “राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप बोर्ड” - ₹1196.38 लाख की बचत (₹5220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (iv) “आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास” - ₹1300.57 लाख की बचत (₹2193.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (v) “आयुष और लोक स्वास्थ्य” - ₹233.60 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

- (vi) “राष्ट्रीय चिकित्सीय पादप मिशन” - ₹1177.73 लाख की बचत (₹5100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नए प्रस्ताव और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (vii) “अस्पताल और औषधालय (आयुष फ्लैक्सिपूल सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)” - ₹16204.67 लाख की बचत (₹23400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (घ) “जनजाति क्षेत्र उप योजना - अस्पताल और औषधालय (आयुष फ्लैक्सिपूल सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)” - ₹ 499.63 लाख की

₹300.00 lakhs) was due to receipt of less work of evaluation under Centrally Sponsored and Central Sector Scheme of the Department.

- (iii) “National Medicinal Plants Board”- saving of ₹1196.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5220.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals and non-receipt of utilization certificates.
- (iv) “Development of common facilities for AYUSH Industry clusters” – saving of ₹1300.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2193.00 lakhs); and
- (v) “Ayush and Public Health” – saving of ₹233.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals.

- (vi) “National Mission on Medicinal Plants” - saving of ₹1177.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5100.00 lakhs) was due to non-receipt of fresh proposals and utilization certificates.
- (vii) “Hospitals and Dispensaries (under NRHM including AYUSH flexipool)” – saving of ₹16204.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23400.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates from States.
- (d) “Tribal Area Sub Plan – Hospitals and Dispensaries (under NRHM including AYUSH flexipool)” – saving of ₹499.63

बचत (₹ 500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals.

(खा) “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान” -

(B) “Medical Education, Training and Research”-

(क) “आयुर्वेद” -

(a) “Ayurveda” -

(i) “राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली को अनुदान” - ₹250.39 लाख की बचत (₹591.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(i) “Grants to Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi”- saving of ₹250.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 591.00 lakhs); and

(ii) “ए एस यू एवं एच औषधियों का गुणता नियंत्रण” - ₹934.55 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) “Quality Control of ASU&H Drugs” - saving of ₹934.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilization certificates.

(iii) “आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर को अनुदान” - ₹1198.16 लाख की बचत (₹3434.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) “Grants to Institute of Post Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar” – saving of ₹1198.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3434.00 lakhs);

(iv) “राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को अनुदान” - ₹377.00 लाख की बचत (₹5044.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iv) “Grants to National Institute of Ayurveda, Jaipur” – saving of ₹377.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5044.00 lakhs);

(ख) “सिद्ध” -

(b) “Siddha”-

(i) “राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई को अनुदान” - ₹960.00 लाख की बचत (₹2400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(i) “Grants to National Institute of Siddha, Chennai” – saving of ₹960.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2400.00 lakhs); and

(ii) “केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई को अनुदान” - ₹335.25 लाख की बचत

(ii) “Grants to Central Council for Research in Siddha, Chennai” – saving

(₹2831.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) “अन्य पद्धतियां” -

- (i) “केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सहायता” - ₹1456.25 लाख की बचत (₹1625.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (ii) “मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को सहायता” - ₹458.75 लाख की बचत (₹1620.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रस्ताव प्राप्त होने, उपयोग प्रमाणपत्र लंबित होने और पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (iii) “आयुष कार्मिक/सतत चिकित्सा शिक्षा का पुनर्विन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम” - ₹135.94 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (iv) “आयुष शिक्षा/औषध विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में संलग्न सरकारी/निजी क्षेत्र के प्रत्यायित आयुष उत्कृष्टता केंद्रों को सहायता” - ₹1199.90 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने और उपयोग प्रमाणपत्र लंबित होने के कारण हुई।

of ₹335.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2831.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to availability of unspent balances of previous year and non-receipt of utilization certificates.

(c) “Other Systems” –

- (i) “Grants to Central Council for Research in Yoga and Naturopathy” – saving of ₹1456.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1625.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year.
- (ii) “Grants to Morarji Desai National Institute of Yoga” – saving of ₹458.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1620.00 lakhs) was due to receipt of less proposals, pending utilization certificates and availability of unspent balances of previous year.
- (iii) “Re-orientation Training Programme of AYUSH Personnel/Continuing Medical Education (ROTP/CME)” – saving of ₹135.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates.
- (iv) “Assistance to accredited AYUSH Centres of Excellence in Non-Governmental/Private Sector engaged in AYUSH Education/Drug Development and Research/Clinical Research/Folk Medicine etc.” – saving of ₹1199.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs) was due

to non-receipt of viable proposals and pending utilization certificates.

(II) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹301.62 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक किन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक थीं।

(II) Under four heads savings of ₹301.62 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 23 percent to 98 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5080.91 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मार्च, 2013 में मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का संकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹5080.91 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in March, 2013 under Major Head "2210"- under the following heads:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - चिकित्सा की अन्य पद्धतियां - आयुर्वेद - अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली" - ₹1000.00 लाख।

(A) "Urban Health Services - Other Systems of Medicines - Ayurveda - All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi" - ₹1000.00 lakhs.

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" -

(B) "Medical Education, Training and Research"-

(क) "आयुर्वेद - केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹227.81 लाख।

(a) "Ayurveda - Grants to Central Council for Research in Ayurvedic Sciences"- ₹227.81 lakhs.

(ख) "होम्योपैथी - केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹1855.10 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1854.10 लाख था।

(b) "Homoeopathy - Grants to Central Council for Research in Homoeopathy" - ₹1855.10 lakhs. Actual excess, however, was ₹1854.10 lakhs.

(ग) "यूनानी" -

(c) "Unani"-

(i) "राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को अनुदान" - ₹213.00 लाख।

(i) "Grants to National Institute of Unani Medicine, Bangalore" - ₹213.00 lakhs.

(ii) "केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान" - ₹533.00 लाख।

(ii) "Grants to Central Council for Research in Unani Medicine" - ₹533.00 lakhs.

(घ) "अन्य पद्धतियां - उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट" - ₹1252.00 लाख।

(d) "Other Systems - North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat" - ₹1252.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2210” - “चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - अन्य पद्धतियां -उत्तर पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - ₹2654.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष “4210”	Major Head “4210”	
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Medical and Public Health	
मू.	O.	1680.00
पु.	R.	-1620.00

(I) ₹1680.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1600.00 लाख - “सामान्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय चिकित्सा फार्मास्यूटिकल निगम लि.” के अंतर्गत पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2210” - “Medical Education, Training and Research – Other Systems - North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Shillong” – excess of ₹2654.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
60.00	..	- 60.00

(I) Provision of ₹1680.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads; of these ₹1600.00 lakhs alone accounted for under - “General - Investments in Public Sector and Other Undertakings – Indian Medicine Pharmaceutical Corporation Ltd.” - due to availability of unspent balances of previous year.